निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 117/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती लछमा पत्नी प्रताप
2. जितेन्द्र पुत्र प्रताप

जाति मीणा, निवासी सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय
2. परमानन्द पुत्र राकुंवार
3. मीठू पुत्र रामकुंवार
4. गोपाल पुत्र जगदीश
5. चन्द्र प्रकाश
6. बुद्धिप्रकाश
7. नेहनू
8. राजेश

पुत्रान जगदीश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मु॰ रतीन बेवा जगदीश।

9. रतनी बेवा जगदीश
10. सीताराम उर्फ लालाराम पुत्र मोहरू
11. आनन्दीलाल पुत्र मोहरू
12. श्योजी पुत्र मोहरू
13. राजू पुत्र मोहरू नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मु॰ भौरी देवी पत्नी मौहरू
14. भौरी देवी पत्नी मोहरू (मृतक)

14/1. दाखा पुत्री भौरी देवी पत्नी मोहरू पन्नी स्व॰ फूलचन्द जाति मीणा

14/2. मंजू देवी पुत्री भौरी देवी पत्नी मोहरू पत्नी महादेव जाति मीणा

निवासी ग्राम चैनपुरा, राजावाली की ढाणी, पंचायत मोहनपुरा, तहसील बस्सी व जिला जयपुर।

15. श्रवण लाल पुत्र नानगा
16. हीरालाल पुत्र नानगा

समस्त जाति मीणा, निवासी सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

17. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 483/2008 ब उनवानी लछमा बनाम परमानन्द व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री बी॰ एल॰ वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 व 16 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 31.10.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 483/2008 ब उनवानी लछमा बनाम परमानन्द व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 15 व 16 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से वाद में स्थगन को निरस्त कराने हेतु जो प्रार्थना पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया था, वो नोट प्रेस में खारिज करवा लिया एवं पुनः एक आवेदन प्रस्तुत कर पूर्व में जारी स्थगन को Vacate कराना चाहते है। जबकि कानूनन प्रतिवादीगण को पूर्व में जो स्थगन वादी के पक्ष में जारी किया गया था, उनकी विधिवत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में आर टी ए की धारा 225 के अन्तर्गत की जानी चाहिये थी। प्रकरण में छोटी–छोटी तारीखें दी जाकर स्थानीय न्यायालय द्वारा लम्बित किया जा रहा है जबकि पहले से ही 15 वर्ष व्यतीत हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकरण को तनकियात बरामद हेतु 12 साल से लम्बित रखे हुये है। प्रतिवादीगण को कानून की प्रकिया के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं कर रहे है एवं साप्ताहिक तारीख देकर प्रार्थिया जो अनुसूचित जन जाति की विधवा है, का बेजा समय व आर्थिक नुकसान कारित कर रहे है। दिनाक 6.06.2022 को जब प्रार्थिया न उनसे निवेदन किया कि मेरे प्रकरण मे आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जावे, तो पीठासीन अधिकारी ने अदालत परिसर में उसे यह कहा कि तू बाहर निकल एवं उस समय प्रार्थिया के विरोधी पक्ष के लोग परमानन्द, हीरालाल व श्रवण मौजूद थे जो हंस रहे थे, उससे आभास होता है कि पीठासीन अधिकारी उनसे मिले हुए है एव प्रार्थिया को नुकसान पैदा करना चाहते है। उनके रवैये से जाहिर है कि उनसे न्याय नही मिल सकता। मेरी वाद की पत्रावली किसी न्यायप्रिय अधिकारी को न्यायहित में ट्रान्सफर कर देवे । जिससे इस प्रकरण मे विधि अनुसार आगे कार्यवाही होकर न्यायपूर्ण निर्णय मिल सके।
5. अप्रार्थी संख्या 15 व 16 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थीगण ने काल्पनिक व मनघढन्त तथ्य अंकित कर यह मुन्तकित प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में प्रार्थीगण ने कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व नियमावली नियम 33 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्णित कथनों के समर्थन में शपथ पत्र से समर्थित नहीं किये जाने के कारण

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अत: मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय ने अपनी टिप्पणी मे प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थीगण द्वारा जो आरोप लगाये गये है, उनके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जो प्रार्थीगण द्वारा पेश नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थिया ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थिया द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर